28.07.2026

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादी की हाजरी है। पुकार पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी ने चंद्रमण्डी थाना में आवेदन दिया था, जिसके आधार पर चंद्रमण्डी थाना में प्राथमिकी संख्या 229/2025 के रूप में काण्ड अंकित हुआ था। पुलिस ने अनुसंधान उपरांत अंतिम प्रतिवेदन संख्या 05/26 असत्य दर्शाते हुये समर्पित किया। इस अंतिम प्रतिवेदन के विरूद्ध सूचक द्वारा पूर्व में दाखिल विरोध पत्र–सह परिवाद पत्र को सूचक की इच्छा पर दिनांक 19.03.2026 को आपराधिक परिवाद माना गया एवं जांच कार्यवाही प्रारंभ की गयी। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले में परिवादी ने जांच क्रम में अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त दो साक्षी मो0 दिलावर अंसारी एवं दुनिया देवी का साक्ष्य करवाया है।

परिवादी राजदेव हजारा के विरोध–सह–परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी का मामला साररूप से इस प्रकार है कि परिवादी करीब 50 वर्षों से ग्राम तीनचुंआ मे रहते आ रहा है। तीनचुंआ में उसका खतियानी जमीन है और सारे पूर्वज इसी गांव में रहकर खेती बारी कर अपना जीवन गुजर–बसर करते आ रहे और मां काली का एक मंदिर बना हुआ है। इस गांव में मेरे जाति का एकमात्र मेरा घर है, बाकी 200 मुस्लिम लोग का घर है। मुस्लिम लोग जबरन मकान–जमीन खाली करने की धमकी, गाली गलौज एवं मारपीट करते आ रहे है। मंदिर में जाकर भी थुक एवं पेशाब कर देता है। आते–जाते मेरी पत्नी एवं बहु के साथ छेड़–छाड़ एवं गाली–गलौज करते रहते है। विरोध करने पर कई बार उसके साथ मारपीट किया। दिनांक 07.08.2025 को परिवादी एवं उसकी पत्नी मंदिर में पूजा करने जा रही थी, इसी बीच सभी अभियुक्त मंदिर के आगे खड़े हो गये और उसको एवं उसकी पत्नी को ''दुसधिनिया, हरामजादी, भोसड़ी, हरिजन कही कि तुम बहुत बड़ा पुजारी हो गयी हो आज तुम्हारा साथ सारा कर्म पूरा कर देगें'' कहकर भद्दी–भद्दी गाली गलौज करने लगे। अयुब मिया, जमरूद्दीन अंसारी, मत्तीन अंसारी, कलीम अंसारी, उसमान अंसारी, अब्दुल अफीज उसकी पत्नी के साथ गलत नियत से छेड़खानी करते हुये मारपीट करने लगा। जब वह रोकने गया तो जमरूद्दीन अंसारी, मत्तीन अंसारी, कलीम अंसारी उसके साथ लप्पड़–थप्पड़ कर मारपीट करने लगा। अभियुक्त कलीम अंसारी जान मारने के नियत से गला दबाने लगा। उसकी पत्नी के चिल्लाने पर भीड़ इकट्ठा हो गयी, जिससे उनकी जान बची।

जाते–जाते सभी अभियुक्त ने कहा कि ''अब तुमलोगों को कोई नही बचायेगा, अब तुमलोगा को मारकर फेंक देगे, आज बच गया अब तुम्हारे घर घुसकर सभी को जान मार देगें।

मैने अभिलेख का अवलोकन किया। इस अंतिम प्रतिवेदन के विरोध पत्र सह परिवाद पत्र पर परिवादी के सशपथ बयान के अतिरिक्त दो साक्षी मो0 दिलावर अंसारी एवं दुनिया देवी का करवाया है। परिवादी ने अपने बयान में कथन किया है कि उसकी पत्नी पुजा करने मंदिर जा रही थी। हफीज मियां, अयुब मियां उर्फ भुट्टु मिया, जमुरूद्दीन मियां, मत्तीन अंसारी, कलीम अंसारी, उसमान अंसारी, अब्दुल हफीज, इसरेल मियां आया और बोला कि **अजान के समय बाजा क्यों बजाते हो। तब वह बोला कि काली मंदिर में पूर्वज से पूजा हो रहा है, कैसे बंद हो जाएगा। इतना पर सभी मिलकर मारने लगे और बोला कि अजान के समय पूजा मर करो।** जांच साक्षी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि **अयुब मियां, जमरूद्दीन मियां, मोती मियां, कलीम सब मिलकर राजदेव हाजरा से जमीन का झगड़ा कर रहा था। सब मिलकर राजदेव हाजरा के साथ गाली गलौज कर रहा था। राजदेव हाजरा की पत्नी के साथ भी धक्का–मुक्की हुआ।** न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया कि **हफीज मिया, उस्मान अंसारी, इजरैल मियां, अब्दुल हफीज झगड़े में नही थे।** जांच साक्षी संख्या 2 ने कथन किया कि वह पूजा पाठ करने के लिये तीनचुंआ मंदिर में गयी थी। जमुउद्दीन मियां, भूटों मिया, मतीन अंसारी एवं कलीम अंसारी उस्मान अंसारी, अब्दुल हफीज उसे एवं उसके घर वालों को पूजा करने नही देते थे। **अभियुक्तगण कहते है कि मंदिर में पुजा नही करो। मंदिर में थूक देते है और पेशाब कर देते है।** मेरे विचार से अभियुक्त अयुब मियां उर्फ फुटो, जमरूद्दीन अंसारी, मत्तीन अंसारी एवं कलीम अंसारी के भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 एवं 115(2) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(S) के अंतगर्त दण्डनीय अपराध के करने का **प्रथम दृष्टया मामला बनता है**। अतः परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त की उपस्थिति हेतु समन की आपेक्षिताएं दाखिल करे।

वाद दिनांक वास्ते समन की आपेक्षिताएं दाखिल करने हेतु।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।